

FORM NO. III

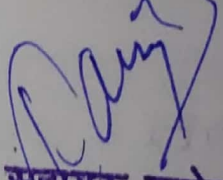
फर्द अहकाम
(नियम-26)

2021
80

अदालत सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा नियम
कि. डी. ओ. अजीठ खनाम मोहनराम मेह
किस्म मुकदमा 53, 188, 277 नं. 27 सन्. 2021/.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	चम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.2.21	वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री. सिंह सहजोरा ने अन्तर्गत धारा 52, 182, 277 का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्बन्ध मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक 26.2.21 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
26.3.21	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अलकापुर पर होने से पत्रावली दिनांक 13.4.21 को पेश हो। 2/4/21	
13.4.21	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब प्रजासिन्धु सर्किट होने से पत्रावली दिनांक 21.6.21 को पेश हो। 2/4/21	
21.6.21	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब कोडि कर्प के अलकापुर होने से पत्रावली दिनांक 4.8.21 को पेश हो। 2/4/21	
4.8.2021	वादीगण के वकील अनुमतिपत्र वादीगण के वकील को रूपक 2 तीन बार आवाज दिलाई गई।	

बावजूद छपना कि उपस्थित रहने पर
वाहीगत के बाद के अरु पुरवी
उने किरन बाजरी में खरिज किया
जाना है। पत्रवली केवल शुमार
होकर नम्बर दे कर है।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोरा